email
19/05/2026
1:17 PM
other Attachment

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः— विद्युत नगर, भिखारीपुर, पोस्ट—डी.एल.डब्ल्यू, वाराणसी, उ0प्र0 (भारत)—221004
वेबसाईटः— www.puvvnl.nic.in ई—मेलः— md@puvvnl.in
CIN:- U31200UP2003SGC027461
फोन नम्बर— 0542-2319437, फैक्स नम्बर—0542-2319152

पत्रांकः—77 प्र0नि0/पू0वि0वि0नि0लि0(वा0)/कैम्प दिनांक 25.02.2025

मुख्य अभियन्ता (वि0),
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी क्षेत्र—प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज क्षेत्र—प्रथम/द्वितीय,
गोरखपुर क्षेत्र—प्रथम/द्वितीय, मिर्जापुर/बस्ती/आजमगढ़।

ई—मेल/अति महत्वपूर्ण

विषयः— 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कार्यरत संविदा कार्मिकों के सम्बन्ध में।

उक्त विषयक के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश संख्या 37 पी0एस0ए0एस0—2/पाकालि/2019 दिनांक 13.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) के विन्दु संख्या (D) SCOPE OF SERVICES के क्लॉज 3 (बी) एवं 4 (बी) के प्राविधान के अनुसार विद्युत सबस्टेशनों के परिचालन एवं एच0टी0 लाइनों एवं एल0टी0 लाइनों के अनुरक्षण कार्यों हेतु आउटसोर्सिंग/सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित किये जाने वाले कुशल एवं अकुशल संविदाकार्मिकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आपके वितरण क्षेत्र के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग/सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित संविदाकार्मिकों के 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनसे कार्य न लिया जाए। विद्युत उपकेन्द्रों का संचालन एवं विद्युत लाइनों का अनुरक्षण उच्च जोखिम युक्त संवेदनशील प्रकृति का कार्य है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा नियत उपरोक्त अधिकतम आयु मानक का पालन न कराये जाने के फलस्वरूप 55 वर्ष से अधिक आयु के किसी संविदाकार्मिक की घातक/अघातक घटित होने की स्थिति में संबंधित संविदाकार्मिक को देय क्षतिपूर्ति की रिकवरी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण), उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता से की जायेगी।

संलग्नकः—यथोपरि।

(शम्भु कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक —77 प्र0नि0/पू0वि0वि0नि0लि0(वा0)/कैम्प तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक (का0 एवं प्रशा0/वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण/जानपद/भण्डार/कार्यशाला/कार्य मण्डल/निर्माण), पू0वि0वि0नि0लि0।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/जानपद/भण्डार/कार्यशाला/कार्य मण्डल/परीक्षण/निर्माण), पू0वि0वि0नि0लि0।

V. Imp
Sh. [illegible]
CC to all EE
21/5/25

(शम्भु कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 2131 दिनांक 22.05.2025
प्रतिलिपि :- समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-कुशीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षण अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner